संख्या–6905/IV–01/रा०प०/2020–21

प्रेषक,

आयुक्त एवं सचिव,
राजस्व परिषद उत्तराखण्ड
देहरादून।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तराखण्ड।

रा०प० (स्वामित्व योजना) देहरादून, दिनांक 28 जुलाई, 2020

विषयः–प्रदेश में "स्वामित्व योजना" लागू करने हेतु ग्रामों का सर्वे एवं उन्नत तकनीकी के साथ ग्रामों की मैपिंग हेतु नवीनतम ड्रोन आधारित प्रौद्योगिकी के उपयोग के फलस्वरूप राजस्व अधिकारियों/कार्मिकों के दायित्व निर्धारण के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक प्रदेश में स्वामित्व योजना लागू करने हेतु शासनादेश संख्याः–314/XVIII(3)/2020–03(04)/2019, दिनांक 20 जुलाई 2020 (छायाप्रति संलग्न) द्वारा प्रदेश के ग्रामीण राजस्व ग्रामों के आबादी वाले क्षेत्रों में ग्रामों का सर्वे एवं उन्नत तकनीक के साथ ग्रामों की मैपिंग हेतु नवीनतम ड्रोन आधारित प्रौद्योगिकी के माध्यम से सर्वेक्षण कियायें सम्पादित किये जाने हेतु उत्तर प्रदेश भू–राजस्व अधिनियम, 1901, की धारा–49 तथा धारा–234 (क) में दिये गये प्राविधानान्तर्गत सर्वेक्षण अधिकारियों के कृत्यों के निर्वहन एवं पालन करने हेतु राजस्व अधिकारियों को उनकी शक्तियों के हस्तान्तरण के सम्बन्ध में प्रदत्त स्वीकृति का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

उपरोक्त शासनादेश द्वारा स्वामित्व योजना के अन्तर्गत प्रदेश के चयनित राजस्व ग्रामों के आबादी क्षेत्रों का सर्वे एवं सर्वे अभिलेख कियाएँ सम्पादित किये जाने हेतु उत्तर प्रदेश भू–राजस्व अधिनियम, 1901, की धारा–49 में निहित प्राविधानानुसार प्रदेश में सर्वेक्षण इकाई वाले जनपदों से इतर अन्य सम्बन्धित जनपद के अभिलेख अधिकारी एवं सहायक अभिलेख अधिकारी के कृत्यों एवं अधिकारों का निर्वहन एवं पालन करने हेतु शक्तियों का हस्तान्तरण (पदेन रूप में) सम्बन्धित जनपद के क्रमशः जिलाधिकारी एवं सम्बन्धित परगना के उप जिलाधिकारी को किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी है।

अतः कृपया शासन की उपरोक्त स्वीकृति के क्रम में आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

संलग्नक–यथोक्त।

भवदीय,

(बी०एम० मिश्र)
आयुक्त एवं सचिव

संख्याः एवं दिनांक उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपिः– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. सचिव, उत्तराखण्ड शासन, राजस्व/पंचायती राज विभाग, देहरादून।
2. मण्डलायुक्त, गढ़वाल/कुमायूँ, पौड़ी/नैनीताल।
3. निदेशक, पंचायती राज, उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. समस्त जिला पंचायती राज अधिकारी, उत्तराखण्ड।

आयुक्त एवं सचिव

पत्रा-08 / क्र०-299 / दि०-21-07-2020

संख्याः 314 /XVIII(3)/2020-03(04)/2019

प्रेषक,

सुशील कुमार,
सचिव (प्रभारी),
उत्तराखण्ड शासन।

DRC(LS)

सेवा में,

आयुक्त एवं सचिव,
राजस्व परिषद्,
उत्तराखण्ड, देहरादून

राजस्व अनुभाग–3 देहरादूनः दिनांक 20 जुलाई, 2020

विषयः– प्रदेश में 'स्वामित्व योजना' लागू करने हेतु ग्रामों का सर्वे एवं उन्नत तकनीकी के साथ ग्रामों में मैपिंग हेतु नवीनतम ड्रोन आधारित प्रौद्योगिकी के उपयोग के फलस्वरुप राजस्व अधिकारियों/कार्मिकों के दायित्व निर्धारण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक कृपया अपने पत्र संख्या 6018/चार–01/रा०प०/2020–21, दिनांक 15 जून, 2020 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा प्रदेश में 'स्वामित्व योजना' लागू करने हेतु ग्रामों का सर्वे एवं उन्नत तकनीकी के साथ ग्रामों में मैपिंग हेतु नवीनतम ड्रोन आधारित प्रौद्योगिकी के उपयोग किये जाने हेतु प्रदेश में सर्वेक्षण इकाई वाले जनपदों से इतर अन्य जनपदों के राजस्व अधिकारियों/कार्मिकों से सर्वेक्षण कार्य करवाये जाने हेतु उत्तर प्रदेश भू–राजस्व अधिनियम, 1901 की धारा 49 तथा धारा 234(क) में दिये गये प्राविधानान्तर्गत सर्वेक्षण अधिकारियों के कृत्यों के निर्वहन एवं पालन करने हेतु राजस्व अधिकारियों को उनकी शक्तियों के हस्तान्तरण का अनुरोध किया गया है।

2– इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि "स्वामित्व" योजना के अन्तर्गत प्रदेश के चयनित राजस्व ग्राभों के आबादी क्षेत्रों का सर्वे एवं सर्वे अभिलेख क्रियायें सम्पादित किये जाने हेतु उत्तर प्रदेश भू–राजस्व अधिनियम, 1901 की धारा 49 में निहित प्राविधानानुसार प्रदेश में सर्वेक्षण इकाई वाले जनपदों से इतर अन्य सम्बन्धित जनपद के **अभिलेख अधिकारी एवं सहायक अभिलेख अधिकारी** के कृत्यों एवं अधिकारों का निर्वहन एवं पालन करने हेतु शक्तियों का हस्तान्तरण (पदेन रुप में) सम्बन्धित जनपद के क्रमशः **जिलाधिकारी एवं** सम्बन्धित परगना के **उप जिलाधिकारी** को किये जाने की एतदद्वारा स्वीकृति प्रदान की जाती है।

भवदीय,

(सुशील कुमार)
सचिव (प्रभारी)

DRC(LS)

–2

<u>संख्याः /XVIII(3)2020, तद्दिनांक।</u>

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1– आयुक्त, कुमाऊँ / गढ़वाल मण्डल, नैनीताल / पौड़ी।

2– समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।

3– गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(धीरेन्द्र कुमार सिंह)
उप सचिव।